फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री वक्ता | **विपक्षी : श्री धन्ना**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 126/16**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। विपक्षी सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 6 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक भूमि में हिस्से की बंटवाडा एवं घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। पैतृक भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 से 6 को पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं। यदि विपक्षी सं. 1 से 6 को रोका नहीं जाता है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेंगा एवं प्रार्थी को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। अतः प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी सं. 1 से 6 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं ताकि प्रकरण में निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके जिससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 144 से 148 किता 5 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 141, 143, 210 से 213, 263 से 266, 365, 383, 384, 410 किता 14 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 164 से 167 किता 4 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 234, 235, 289, 290, 399, 400 किता 6 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 134, 135, 136 किता 3 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 6 मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी को उनके कब्जे काश्त की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। पत्[illegible] नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:38:58 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली